तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/05/25	वकील अपी. अनु. पीठासीन अधिकारी अवकाश राज. कार्य से होने से प्रकरण वास्ते सुनवाई / अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/05/25 को पुर्वादेशानुसार पेश हो	
28/05/2025.	पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष अनुपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपील प्रकरण दिनांक 27/06/1983 को ग्राम पंचायत द्वारा खोले गए नामान्तरकरण को समस्त वारिसान के नाम होने व लड़कियों के अधिकार विरासत से विलोपित किए जाने से संबंधित होकर, इस क्रम में उपखण्ड अधिकारी - गिर्वा द्वारा 12/5/2017 को गुणावगुण पर प्रकरण की निरस्तगी के विरुद्ध ~~अपील~~ प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण लम्बे समय से पक्षकारान की अनुपस्थिति (दिनांक 02/09/2024 से लगातार) व पैरवी के अभाव में लम्बित है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा मूल पुरुष की मृत्यु पश्चात हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अनुसार स्वीकृत नामान्तरकरण को सही बताते हुए नामान्तरकरण की समरी प्रोसीडिंग में कस्टमरी लॉ के आधार पर हक व अधिकार तय नहीं किया जा सकता तथा अपीलान्ट द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में अपील खारिज की है। उपखण्ड अधिकारी के आदेश दिनांक 12/5/2017 में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अत: प्रकरण अपीलान्ट द्वारा पैरवी के अभाव में गुणावगुण पर निरस्त किया जाता है।	

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय आज दिनांक 28/05/2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/05/2025
संभागीय आयुक्त
उदयपुर (राज.)